प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 28.08.2024

धोखाधड़ी द्वारा चार गुना कूटरचित करेन्सी का प्रलोभन देकर 02 करोड़ रूपयों के असली नोटों का गबन करने के आरोप में 08 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 28,77,800 रुपये व 01 अदद स्कार्पियो वाहन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एंव अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष सहजनवां व प्रभारी एसओजी/स्वॉट टीम के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 456/2024 धारा 316(2),351(2),318(4),338,336(3),340(2),352,317(2),61(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त 1. अमरजीत बेलदार पुत्र मनराज बेलदार निवासी रावतपार थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर, 2- अभिषेक यादव पुत्र इन्द्रेश यादव निवासी गाडर थाना गीडा जनपद गोरखपुर 3. अनन्त राय पुत्र सभाजीत राय निवासी लोनवा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर 4- राणाप्रताप पाण्डेय उर्फ झूलर पाण्डेय पुत्र उमाशंकर पाण्डेय निवासी बेलदारीपुर थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर 5. अजय मौर्या पुत्र राम नेवास मौर्या निवासी पिडिया थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर 6. शिवप्रताप पुत्र बृजभार निवासी चारपान थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर 7. नागेन्द्र कुमार पुत्र नारतंक निवासी भेउसा थाना हरपुर बदहट जनपद गोरखपुर व 8. शैलेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नर निवासी कास्तदेउर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया एवं कब्जे से ठगी का 28,77,800 (अट्ठाइस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ) रुपये नगद व ठगी के रुपयों से क्रय की गयी 01 अदद स्कार्पियो वाहन बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त 1. अमरजीत बेलदार, 2. वीरेन्द्र यादव व 3. सुदामा यादव द्वारा वादी मुकदमा को जमीन दिलाने के नाम पर 02 करोड़ रूपया नगद ले लिया गया किन्तु जमीन नही दिवलायी गयी। वादी मुकदमा द्वारा जमीन दिलाने के लिए कहा गया तो उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत कर प्रकाश में आये उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि वादी मुकदमा पश्चिम बंगाल में रहकर ठेके पर बड़े पैमाने पर पेंट पालिश का कारोबार करते हैं। अभियुक्त **अमरजीत बेलदार** उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ **मिलकर वादी मुकदमा से धोखाधड़ी करके रूपये हड़पने की योजना बनाई गयी**। योजना के तहत अभियुक्तगण वादी मुकदमा से मिलने कुछ माह पूर्व (मार्च) कोलकाता गये थें। उक्त लोगों द्वारा वादी मुकदमा को विश्वास में लेकर यह बताय गया कि हम लोग नकली नोट का धंधा करते है। यदि आप हमें 02 करोड़ रूपये देंगे तो इसके बदले हम लोग आपको 08 करोड़ (चार गुना) रूपयों का नकली नोट देंगे जिन्हे आप असली की तरह प्रयोग कर सकते हैं। विश्वास दिलाने के लिए 05 लाख रूपये की असली करेंसी वादी मुकदमा को यह कहकर दियें कि ये नकली नोट हैं इन्हे आप बाजार में कहीं भी चलाकर देख सकते हैं। उक्त नोटों का प्रयोग करने के बाद वादी मुकदमा ने 50 लाख रूपये अभियुक्तों को दे दिये तथा शेष 01 करोड़ 50 लाख रूपयों को बाद में देने के लिए कहा। वादी मुकदमा द्वारा दिये गये पैसों को अभियुक्तों द्वारा आपस में बांट लिया गया तथा 01 स्कार्पियो वाहन UP53EX2011 खरीदा गया। कुछ दिन बाद वादी मुकदमा द्वारा अपने दिये गये पैसो के बदले में करेन्सी की मांग करने पर अभियुक्तों द्वारा उन्हे गोरखपुर बुलाया गया। अभियुक्तों द्वारा योजना बनाई गयी कि **वादी मुकदमा को आने पर यह बताना है कि हम सभी लोग मिलकर नकली नोट बनाते हैं तथा इस काम में लगे हुए हैं। यदि वादी मुकदमा द्वारा शीघ्र ही शेष 01 करोड़ 50 लाख रूपये दे दिया जाता है तो हम लोग उन्हे 08 करोड़ रूपयों की नकली करेन्सी दे देंगे**। वादी मुकदमा बार-बार पैसों की मांग न करें इसके लिए सभी ने मिलकर **01 कूटरचित खतौनी तैयार करवाया और योजना के तहत वादी मुकदमा को बताया कि यदि हम लोग आपको पैसे नहीं देते है तो उक्त**

जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम कर देंगे । दिनांक 10.07.2024 को पैसो के लेनदेन के लिए अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा को बुलाया गया। अभियुक्तों ने अपने योजना में पीआरडी के 03 जवानों 1. शिवप्रताप, 2. नागेन्द्र, 3.शैलेन्द्र को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया । **अभियुक्तों द्वारा यह योजना बनाई गयी थी कि पैसों के लेनदेन के समय पुलिस(पीआरडी के जवानों) के आने पर सभी लोग भागने का नाटक करेंगे तथा पैसो को पुलिस ने जब्त कर लिया यह बताया जाएगा** । और सभी नियत स्थान पर पहुँचे। वादी मुकदमा ने एक बैग में 01 करोड़ 50 लाख रूपये रखा था जिसे उन्होने अभियुक्तों को दे दिया। उसी समय योजना के तहत तीनों पीआरडी के जवान अभियुक्त की स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी में आये, जिन्हे देखकर सभी अभियुक्त पुलिस आई चिल्लाते हुए अपनी गाड़ी लेकर भागने का नाटक करने लगे जिसे देखकर वादी मुकदमा भी अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गये। बाद में अभियुक्तों द्वारा प्राप्त पैसों को आपस में बांट लिया गया।
मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अमरजीत बेलदार उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 15 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त अमरजीत उपरोक्त द्वारा पूर्व में थाना खजनी क्षेत्र में इसी तरह का अपराध कारित किया गया था।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 456/2024 धारा 316(2),351(2),318(4),338,336(3),340(2),352,317(2),61(2) भा0न्या0सं0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

बरामदगी -

1. ठगी का 28,77,800/- रूपया नगद
2. ठगी के रूपयो से क्रय की गयी 01 अदद स्कार्पियो वाहन

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1-अमरजीत बेलदार/चौहान पुत्र मनराज चौहान निवासी रावतपार थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
ii. मु0अ0स0 0316/2023 धारा 120-B, 406, 411, 419, 420, 489-B, 489-C भा0द0स0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर

2- अभिषेक यादव पुत्र इन्द्रेश यादव निवासी गाडर थाना गीडा जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2)/351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0स0 0684/2018 धारा 323, 352, 504, 506 भा0द0स0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

3. अनन्त राय पुत्र सभाजीत राय निवासी लोनवा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 0241/2022 धारा 376, 504, 506 भा0द0स0 व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर

4. राणाप्रताप पाण्डेय उर्फ झूलर पाण्डेय पुत्र उमाशंकर पाण्डेय निवासी बेलदारीपुर थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

5. अजय मौर्या पुत्र राम नेवास मौर्या निवासी पिडिया थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

ii. मु0अ0सं0 398/2022 धारा 323, 325,506 भा0द0स0 थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर

iii. मु0अ0सं0 436/2022 धारा 323, 325,506 भा0द0स0 थाना बाँसगाव जनपद गोरखपुर

6. शिवप्रताप पुत्र बृजभार निवासी चारपान थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

7. नागेन्द्र कुमार पुत्र नारतंक निवासी भेउसा थाना हरपुर बदहट जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0न्या0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

8. शैलेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नर निवासी कास्तदेउर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0स0 456/2024 धारा 316(2) /351(2) /318(4) /338 /336(3) /340(2) /352 /317(2) /61(2) भा0द0स0 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 पंकज कुमार सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अभिषेक कुमार राय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 घनश्याम उपाध्याय थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 पारस कुमार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
6. का0 दीपू कुमार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
7. का0 इन्द्रजीत यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
8. का0 गोलू यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
9. का0 गोविन्द यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
10. उ0नि0 मनीष यादव SOG स्वाट प्रभारी जनपद गोरखपुर
11. उ0नि0 राजमंगल सिह SOG स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
12. हे0का0 राम एकबाल राव SOG स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
13. हे0का0 करुणा पति त्रिपाठी SOG स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
14. हे0का0 दुर्गेश मिश्रा SOG स्वाट टीम जनपद गोरखपुर
15. हे0का0 अरुण खरवार SOG स्वाट टीम जनपद गोरखपुर

<u>नोट-</u> वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।